राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश
STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH

आर्मसडेल,शिमला-171002Armsdale,Shimla-171002 Tel. 0177-2620152,2620159,2620154,Fax. 2620152

Email:secysec-hp@nic.in

दिनांक 24.05.2026

प्रैस विज्ञप्ति

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन हेतु दिनांक **29.04.2026** को अधिसूचना जारी की गयी थी। जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पंचायती राज संस्थाओं का विवरण	कुल संख्या
1.	प्रधान	3754
2.	उप प्रधान-	3754
3.	सदस्य ग्राम पंचायत	21,654
4.	सदस्य पंचायत समिति	1769
5.	सदस्य जिला परिषद्	251
6.	कुल पद	**31,182**

नामांकन पत्र भरने का दिनांक 07, 08 व 11 मई, **2026** को निश्चित किया गया था। जिसमें कुल **86204** प्रत्याशियों नामांकन पत्र भरे गये। इनकी जांच पंड़ताल 12 व 13 मई**, 2026** को सम्बन्धित रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की गयी, जिसमे कुल **742** नामांकन पत्र अस्वीकृत किए गये। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार दिनांक **14.05.2026** व **15.05.2026** को नामांकन पत्रों की वापसी थी, नामाकन पत्रों की वापसी के पश्चात **10854** पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित हुए ।

मतदान तीन चरणों में 26, 28 व 30 मई**, 2026** को प्रातः **7** बजे से सांय **3** बजे तक मतपत्र व मतपेटियों के माध्यम से करवाया जाएगा। मतदान के प्रथम चरण के लिए प्रचार अब समाप्त हो चुका हैं यद्यापि प्रत्याशी घर-घर जा कर मतदाताओं से संपर्क कर सकतें हैं। प्रदेश में कुल 21,678 मतदान केंद्र स्थापित किए गये हैं। जिनमें 16539 मतदान केंद्र सामान्य 3554 संवेदनशील व 1585 अति संवेदनशील घोषित किए गये हैं। इसके अतिरिक्त जिला हमीरपुर में 1 व जिला काँगड़ा में 2 सहायक मतदान केंद्र स्थापित किए गये हैं। मतदान के लिए कुल **8198** मतदान दल गठित किए गये हैं। आयोग ने जानकारी दी है कि दिनांक 26.05.2026 को प्रथम चरण में **1293** ग्राम पंचायतों में मतदान होगा। सभी मतदान दल मतदान केन्द्रों के लिए रवाना हो चुके हैं और आज सायं वहां पहुंच जायगे।

आयोग सभी मतदाताओं से अपील करता है कि वे स्वतंत्र एवं निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें तथा किसी भी प्रकार के प्रलोभन से दूर रहें। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल वही मतदाता मतदान केंद्र में प्रवेश कर सकेंगे जिनका नाम उस मतदान केंद्र की मतदाता सूची में शामिल हैं। मतदाताओं के अतिरिक्त केवल वही व्यक्ति मतदान केंद्र में प्रवेश कर सकेगा जिसे राज्य निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी एवम पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया गया हो। आयोग ने मतदाता से यह भी अपील की है कि मतदाता मतदान के पश्चात् तुरंत मतदान केंद्र से प्रस्थान करें।

सु. राठौर
(सुरजीत सिंह राठौर)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
हिमाचल प्रदेश।

प्रतिलिपि सेवा में निदेशक, सूचना एवं जन–सम्पर्क/आकाशवाणी/दूरदर्शन को व्यापक प्रचार एवं प्रसार हेतु।